निगरानी / टी.ए. / 5920 / 2005 / जयपुर
मूंगी बनाम टेका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

निर्णय दिनांक :01.2.2019

1. यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा वाद संख्या 172 / 99 में दिनांक 18–11–2005 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है।

2. गत पेशी पर वकील निगरानीकर्तागण श्री आत्माराम एवं राज्य सरकार की ओर से खुर्शीद अनवर वकील उपस्थित आये थे। अन्य रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए उनकी बहस सुनी गई थी। वकील निगरानीकर्तागण ने बहस के दौरान प्रकट किया कि साक्ष्य प्रतिवादी की स्टेज पर वादीगण ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजात विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये थे, जिन्हें केवल इस आधार पर रेकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया गया कि उन्हें देरी से पेश किया गया है। दरख्वास्त खारिज करने का यह भी कारण बताया गया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र पेश नहीं किया है। वकील निगरानीकर्तागण की दलील है कि देरी के लिए प्रतिवादीगण को हर्जाना से कम्पनसेट किया जा सकता था तथा शपथ पत्र इसलिए पेश नहीं किया गया क्योंकि दस्तावेजात संदेह से परे हैं। अतः निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जावे।

3. श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश विधिवत होना बताया है।

4. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. दिनांक 24–9–05 को साक्ष्य प्रतिवादीगण की स्टेज पर वादीगण ने ग्राम पंचायत, बिलान्दरपुर द्वारा पक्षकारान की वंशावली बाबत तैयार किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 20–8–01 एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की प्रति को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया था। दस्तावेजात पेश करने में वादीगण ने देरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की है, जिसके लिए प्रतिवादीगण को हर्जाना से कम्पनसेट किया जा सकता है। इसलिए आक्षेपित आदेश पारित करके विद्वान विचारण न्यायालय ने अवैधानिकता की है। लिहाजा निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 6. निगरानीकर्तागण मूंगी आदि की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उक्त दोनों दस्तावेजात को पॉच हजार रूपए हर्जाना पर रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। हर्जाना की राशि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अदा नहीं किये जाने की सूरत में यह निगरानी स्वतः ही खारिज की हुई समझी जायेगी। पक्षकारान दिनांक 11–3–2019 को विचारण न्यायालय में पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शीघ्र लौटाया जावे। विचारण न्यायालय को निर्देश है कि इस निर्णय की प्रतिलिपि पेश होने के एक वर्ष के भीतर वाद का विधिनुसार निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	